IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 1, Series 2 (January, 2025) 63-70
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

भारत में महिलाओं के प्रति अपराध एवं कानून व्यवस्था

डॉ. रुचि आहूजा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, भारतीय पी जी महाविद्यालय, किशनगढ़बास , खैरथल तिजारा , राजस्थान

शोध संक्षेप
महिलाएं ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में बलात्कार, दहेज हत्या, छेड़छाड़, अपहरण, देह व्यापार, भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई, शराबखोरी वगैरह शामिल हैं. इन अपराधों को रोकने के लिए कई क़ानून और प्रचार–प्रसार का काम किया जाता है । महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कई क़ानून बनाए गए हैं. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' शब्द का तात्पर्य लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कृत्य से है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति या पीड़ा होती है या होने की संभावना होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना शामिल है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित हो।महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों से निपटने के लिए कई कानून हैं. इनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, और बाल यौन अपराध संरक्षण (च्वैब्) अधिनियम, 2012 जैसे कानून शामिल हैं । भारत में महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। हमारे संविधान में महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। परंतु उसके बावजूद भी महिलाएं और बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की 40 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार के शोषण का शिकार है। इनमें से 20 प्रतिशत महिलाएं यौन अपराधों का शिकार है। भारत में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में यौन शोषण के मामले ज्यादा है। महिला एवं बाल सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट2021 के अनुसार वर्तमान में महिलाओं से ज्यादा बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहें हैं। समाज में प्रत्येक स्थान पर महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार और अत्याचार हो रहा है। पुलिस भी महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करती है । वर्तमान में महिला और बच्चों के साथ दुष्कर्म ,अपहरण , यौन हिंसा ,भाग ले जाना ,दहेज हत्या, जैसे अपराधों के मामलों में में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारी न्यायिक व्यवस्था जटिल होने के कारण महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को सजा मिलने की दर बहुत कम है अतः प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिलाओं के प्रति अपराध एवं कानून व्यवस्था का अध्ययन किया गया है ।

मुख्य बिन्दु :– महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती शिकायतें, भारत में महिलाओं के प्रति अपराध, कानून व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2022, भारतीय संविधान में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु मूलभूत अधिकार, राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या से संबंधित एक रिपोर्ट 2023, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिर्पोट 2022, राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2023, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति व निष्कर्ष ।

परिचय :–

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आदिकाल से महिलाओं को आदिशक्ति के रूप में पूजा गया है। भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है। महिलाएं एक राष्ट्र का गौरव होती हैं जिनका समाज में एक विशेष स्थान होता है। सामाजिक रूप से महिलाओं को अबला माना गया है परंतु महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है । महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उनकी शक्ति को आदिकाल से ही पहचाना जा चुका है। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने महिलाओं को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया था। क्योंकि वे नारी शक्ति से अनभिज्ञ नहीं थे। असहयोग आंदोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व भूमिका थी। भारत के कई किसान आंदोलन, नारी आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की अभूतपूर्व भूमिका रही है। परंतु इसके बावजूद भी वर्तमान में महिलाओं की आधी आबादी किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार है। समाज में उनके साथ सामाजिक ,आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। उनका मानसिक व शारीरिक शोषण हो रहा है।

हमारे देश में महिलाओं को उनके अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महिला साक्षरता अभियान एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक नया अध्याय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से एवं भारत में

भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान से शुरू होता है।विश्व में महिलाएं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा से बिना डरे अपनी प्रगत्ति कर सके एवं समाज के उत्थान एवं विश्व शांति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 18 दिसम्बर 1970 को असेंबली में ''कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन"पारित किया गया इसे महिलाओं का बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है। इसे 3 सितंबर 1981 से लागू किया गया, तभी से महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना संयुक्त राष्ट्रसंघ का कर्त्तव्य बन गया है। महिलाओं को विश्व स्तर पर सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को 'विश्व महिला वर्ष' घोषित किया गया था। 1975 के उपरांत केंद्रीय व राज्य स्तर पर महिलाओं को विशेष स्थान देने के लिए अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए। परंतु इन सबके उपरांत भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं शोषण का शिकार है। आज भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी महिलाओं और बच्चों के साथ निरंतर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। जो एक चिंता का विषय है।

उद्देश्य :–

1 महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की स्थिति का आकलन करना ।

2 महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था का अध्ययन करना ।

परिकल्पना :–

1 महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण हेतु कानून व वैधानिक अधिकार दिए गए हैं ।

आंकड़ो का स्त्रोत :–

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है । इनका संकलन पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, कानूनी लेख व नियमावली आदि से किया गया है ।

महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती शिकायतें :–

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (छॅब) ने सूचित किया कि वर्ष 2021 के प्रारंभिक आठ महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46þ की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है। अक्तूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक 'कभी न खत्म होने वाले चक्र' (छमअमत–म्दकपदह ब्लबसम) के रूप में परिभाषित किया।

संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा को "लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें इस तरह के कृत्यों की धमकी, ज़बरदस्ती या मनमाने ढंग से उनको स्वतंत्रता से वंचित (चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में हो) करना शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक, कानूनी, शैक्षिक, मानव अधिकार और स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) का मुद्दा है। कोविड –19 के प्रकोप के बाद से सामने आए आँकड़ों और रिपोर्टों से पता चला है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है।

कारण :–

लैंगिक असमानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बड़े कारणों में से एक है जो महिलाओं को कई प्रकार की हिंसा के जोखिम में डालती है। उनके अधिकारों को व्यापक रूप से संबोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति और मौजूदा विधियों की अज्ञानता। सामाजिक रवैये, कलंक और कंडीशनिंग ने भी महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील बना दिया है तथा ये मामलों की कम रिपोर्टिंग के मुख्य कारक हैं।

प्रभाव :–

महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य परिणाम महिलाओं को उनके जीवन के सभी चरणों में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिये प्रारंभिक शैक्षिक नुकसान न केवल सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा और लड़कियों के लिये शिक्षा के अधिकार हेतु प्राथमिक बाधा उत्पन्न करते हैं; बल्कि उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच को प्रतिबंधित करने और यहाँ तक कि श्रम बाज़ार में महिलाओं के लिये सीमित अवसरों की उपलब्धता के लिये भी दोषी हैं।

वैश्विक प्रयास :–

'स्पॉटलाइट' इनिशिएटिवः यूरोपीय संघ (म्न) और संयुक्त राष्ट्र (न्छ) ने महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों को खत्म करने पर केंद्रित इस नई वैश्विक, बहु–वर्षीय पहल शुरू की है। इसका यह नाम इसलिये रखा गया है, क्योंकि यह विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के प्रयासों के केंद्र में रखती है।

भारत में महिलाओं के प्रति अपराध एवं कानून व्यवस्था :–

यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आधुनिक काल में भी महिलाओं के साथ दुराचार , भेदभाव व अत्याचार किए जा रहे हैं। भारत में राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 20 प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। विश्व में केवल 10 देशों में ही महिलाएं संसद की 35 प्रतिशत सीटों पर विराजमान है।

संसार भर में महिलाएं यौन अपराधों से पीड़ित है। विश्व भर में महिलाओं के साथ यौन अपराधों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। छोटी–छोटी बच्चियों का अपहरण करके उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसा देना एक आम बात हो गई है। आज बांग्लादेश व नेपाल मानव तस्करी का गढ़ बन गए है। छोटी –छोटी बच्चियों और महिलाओं की बांग्लादेश और नेपाल में तस्करी की जाती है। माता–पिता की आर्थिक दुर्बलता के कारण बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला जा रहा है। इसी के चलते बाल वेश्यावृत्ति के मामलों में वृद्धि हो रही है। महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है। महिलाओं और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसका शीर्षक था यौन अपराधों से महिलाओं और बच्चों का संरक्षण। इस सम्मेलन के द्वारा भागीदारी देशों के लिए महिलाओं और बच्चों को यौन संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। जिसके तहत प्रत्येक देश द्वारा महिलाओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

भारत में वर्ष 1992 में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में महिला आयोग की शाखा की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्थान है जो महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी कार्यवाही परामर्शकारी हैं, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं रखती हैं। इसका कार्य सलाहकारी होता है दंडात्मक नहीं। आयोग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के हित में योजनाएं निर्मित की जाती हैं तथा इन योजनाओं को सरकार के समक्ष लाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला कैदियों, यौन उत्पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के पुनर्वास के लिए भी कार्य करता है। आयोग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

महिला एवं बाल अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत महिला को परेशान करने, उस पर जुल्म करने, उसे बेवजह प्रताड़ित करने,तथा तथा उसके साथ की गई किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। महिला अधिकारों को सुरक्षित करने, तथा उन्हें सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग निर्मित किए गए हैं। जिनमे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग प्रमुख हैं। यह प्रमुख संस्थाएं महिलाओं के संरक्षण हेतु कार्य कर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2022 के अनुसार :–

वर्तमान में सबसे बड़ा भेदभाव लिंग भेद है। भारत में लिंग भेद को समाप्त करने के लिए महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में अधिक से अधिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया है जिसके अंतर्गत लोकसभा , राज्य विधानसभा व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक– तिहाई स्थान दिया गया है। इस अधिनियम के तत्वाधान में वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत स्थान दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 106 वे संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रभाव में लाया गया है। इस विशेष प्रावधान के द्वारा महिलाओं को राजनीति में प्रमुख स्थान दिया जाएगा तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस अधिनियम के तत्वाधान में महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आकर अपने लिए ऐसे विधिक प्रावधान व योजनाएं निर्मित कर पाएगी जिससे महिलाओं का शोषण न हो पाए।

भारतीय संविधान में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु मूलभूत अधिकार :–

भारतीय संविधान में भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। इनके सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकारों से लेकर नीति निदेशक तत्वों का प्रबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म लेने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 (1)

में लोक सेवाओं में समस्त भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी, अनुच्छेद 19 (1) में सभी भारतीय नागरिकों कोअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 23–24 में किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25–28 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति की समुचित व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में समुचित प्रबंध करना सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों को 10–15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3–5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में 'दहेज निषेध अधिनियम' निर्मित करके लागू किया गया है। वर्ष 1986 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 को संशोधित करते इसमें समयानुसार परिवर्तन किया गया है।

संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के कल्याण के लिए प्रसूति हेतु छुट्टी का प्रबंध किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा एक्ट लागू किया गया है। पहले इसमें 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है। महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए 'समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के विरुद्ध भारतीय सिविल संहिता में अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता (1860) की अनेक धाराओं 304, 312–316, 319–323, 340, 344, 354, 361, 363, 364, 366, 366, 372–373, 377, 494, 496, 498 (ज). 499, 509 सरकारी व गैर– सरकारी संस्थानों में महिलाओ के साथ यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे अनेक कानूनों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।

केंद्र द्वारा भी महिलाओं को सुरक्षा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति लागू की जा रही है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान हेतु चलाई जाने वाली योजनाएँ प्रमुख हैं– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, सहयोग एवं उपहार योजना संभाग स्तरीय नारी निकेतन ध् राज्य महिला सदन, स्वाधार गृह योजना, विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना, आस्था योजना, विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, पोलियो करैक्शन कैम्प योजना, विशेष योग्यजन खेल–कूद योजना विशेष योग्यजन के लिए स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना, विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण योजना, स्वावलम्बन योजना, नन्द घर योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना इत्यादि। देश में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के प्रति भी केन्द्र सरकार ने कानून बनाये हैं जिनमें मुख्य कानून घरेलू हिंसा तथा दहेज उत्पीडन तथा भ्रूण हत्या के संबंध में हैं। बढ़ते महिला एवं बाल यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु भी पोक्सो एक्ट कानून बनाया गया है। निर्मित कानूनों की सार्थकता तभी संभव है जब उन्हें कठोरता से लागू किया जाए। देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए समुचित कानूनी प्रबंध किए गए हैं किन्तु यह कानूनी प्रबंध अपराधों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित नहीं हुए हैं।क्योंकि इन्हें कठोरता से लागू नहीं किया गया है। यदि महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल प्रावधान नहीं किए गए तो देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा।

महिलाओं के साथ होने वाले शोषण की कहानी उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व भर में हमारी महिलाएं कई देशों से बहुत आगे हैं किंतु हमारे देश में महिलाओं को उनके समुचित अधिकारों से वंचित रखने के कारण आज महिलाएं, पुरुषों काफी पीछे है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को सदैव ही उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। परिवार व समाज में उनके साथ सदैव ही भेदभाव किया जाता रहा है। परिवार में एक महिला को सिर्फ घरेलू कार्य करने की मशीन ही समझा गया हैं। घर परिवार में उनके साथ अनगिनत अत्याचार किए जाते हैं। परिवार में पति के द्वारा पत्नियों को मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचाया जाता है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है, विवाह के नाम पर पत्नियों के साथ जबरन बलात्कार किया जाता है। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि विवाह के बाद होने वाली यौन हिंसा को सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अपराध नहीं माना जाता है। परिवार में पत्नियों के साथ वैवाहिक दुष्कर्म करना आज भी अपराध नहीं माना जाता। पति और पत्नियों के मध्य यौन संबंध बनाने के निर्णय में सिर्फ पति की ही सहमति काफी होती है, पत्नियों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समाज की पुरुष सत्तात्मक विचारधारा होने के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। क्योंकि पुरुष आज भी महिलाओं को अपने पैर की जूती ही समझते हैं। इसलिए वे महिलाओं को अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला यंत्र समझते हैं। हमारे समाज की दूषित मानसिकता के कारण महिलाएं भी

इस बात को मानने लगी है कि महिलाएं शोषण के लिए ही बनी है, और पुरुषों को यह अधिकार है कि वह महिलाओं का शोषण कर सके। इसी कारण महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को महिलाएं सामान्य बात समझकर भूल जाती हैं। और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध नहीं करती हैं। उनके साथ होने वाली मारपीट को वह सामान्य बात समझकर प्रतिदिन शोषित होती रहती हैं। परिवार में महिलाओं के साथ सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं होती अपितु मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आर्थिक रूप से पति के ऊपर आश्रित होने के कारण उन्हें सभी प्रकार की हिंसा को सहन करना पड़ता है ।महिलाओं के मन और अंर्तमन को आहत करती हिंसा का उनके दिलों–दिमाग पर कितना गहन, गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव पड़ता है इस ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता।

राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट :–

2011 से 2022 तक महिलाओं के साथ अपराधों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 में जहा महिलाओं के साथ अपराधों के मामले 2,37,986 थे वही 2022 में ये बढ़कर 3,21,564 हो गए है। इन अपराधों में दुष्कर्म, हत्या, भाग ले जाना, अपहरण , घरेलू हिंसा , शारीरिक उत्पीड़न और जैसे अपराध सम्मिलित है ।भारतीय सामाजिक सुधारको का मानना है कि महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के पीछे आर्थिक कारणों का उतना ही बड़ा हाथ है जितना की सामाजिक और रूढ़िवादी प्रथाओं का। सामाजिक सुधारक मानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्राचीनकाल से महिलाओं का शोषण हो रहा है जिसका प्रमुख कारण पुरुषों पर उनकी आर्थिक निर्भरता है। प्राचीन काल से महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा गया है। उन्हें शिक्षा , सामाजिक ,आर्थिक व राजनीतिक कार्यों से दूर रखा गया । इसी संदर्भ में प्रसिद्ध नारीवादी विचारक सिमोन द बुवा कहती है "स्त्रिया पैदा नहीं होती अपितु बनाई जाती है"। भारतीय महिलाएं प्रतिदिन शोषण का शिकार हो रही है जिसके कारण उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया और वे सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए पुरुषों पर निर्भर है। इस बात में संदेह नहीं है कि हमारे पुरुष सत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं की यह दशा हुई है।

वर्तमान संदर्भ में बात करें तो महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में गंभीर अपराध यौन हिंसा है। यौन हिंसा से अभिप्राय है महिलाओं का लैंगिक शोषण करना, उन्हें गलत मंशा के साथ स्पर्श करना, उनके साथ दुष्कर्म करना या उनके साथ अश्लील मजाक करना । महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध को सामाजिक और कानूनी अपराध माना गया है। वर्तमान में यौन अपराध की समस्या ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया है। यौन शोषण का शिकार एक विशेष वर्ग की महिलाएं ही नहीं अपितु सभी वर्गों की महिलाएं हैं ।सच्चाई यह है कि लगभग हर तबके की महिलाएँ यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है। शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं भी यौन शोषण का शिकार है। हमारा दुर्भाग्य है कि एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी और महिलाओं का यौन शोषण करते हैं । यौन शोषण के मामलों में कामकाजी महिलाएं ज्यादा यौन अपराधों से उत्पीड़ित हैं दुर्भाग्य की बात यह है आर्थिक मजबूरी के कारण कामकाजी महिलाएं यौन उत्पीड़न को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। उनका मन तो चीत्कार करता है लेकिन अपनी आवश्यकताओं के चलते वे यौन शोषण का शिकार होती रहती हैं। ज्यादातर यौन उत्त्पीड़न का शिकार वही महिलाएं होती है जो किसी पुरुष कार्यालय में कार्यरत है। न्यायालय का ध्यान हमेशा बाहरी अराजक तत्वों पर ही रहता है जबकि नियोक्ता और पदाधिकारी अधीनस्थ महिला के साथ सोची समझी चाल के तहत यौन उत्पीडन करते है।

यकीनन देश में बहुत सारी महिलाओं ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। परंतु अभी भी महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जागरूक होना होगा। उन्हें अपने ऊपर होने वाले अपराधों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। वर्तमान में यौन हिंसा के विरुद्ध महिलाओं द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं।जिनमें प्रमुख आंदोलन भारतीय पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के विरुद्ध यौन हिंसा का है। इसके साथ–साथ मणिपुर यौन हिंसा के विरुद्ध महिलाओं द्वारा किया गया आंदोलन भी बहुत चर्चित है। वर्तमान में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार– पत्रों के द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संदर्भ में लेख प्रकाशित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत महिलाओं में साहस और अपराधों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा भरी जाती है। सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के संरक्षण में निर्मित कानून की जानकारी कानूनी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या से संबंधित एक रिपोर्ट 2023 :–

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिदिन महिलाओं के साथ यौन अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। प्रत्येक 20 मिनट में एक महिला का दुष्कर्म , 26वें मिनट में अपहरण, 34वें मिनट में यौन शोषण व 43वें मिनट में घरेलू हिंसा , 93वें मिनट में एक महिला दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती है।ससुराल वालों द्वारा किए गए घरेलू हिंसा व दहेज हत्या के मामलों में 2011 से 2022 तक 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

2011 में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के 55439 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर 84045 हो गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिर्पोट 2022 :–

महिलाओं और बच्चों साथ अपहरण ,दुष्कर्म, दहेज हत्या,कन्या भ्रूण, घरेलू हिंसा, के अपराधों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में ज्यादा वृद्धि की दर्ज की गई है। बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा अग्रणी राज्य रहें हैं। दुष्कर्म के मामलों में वर्ष 2011 से वर्ष 2022 तक 60456 प्रकरण पुलिस थानों मे रिपोर्ट करवाए गए हैं। यह स्थिति तो ऑन रिकार्ड है, जबकि यौन हिंसा के कुछ मामले तो सामाजिक प्रतिष्ठा व लोक लाज के कारण रिपोर्ट ही नहीं करवाई जाते हैं।

राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 :–

देश में महिला एवं बाल अपराध के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारण अपराधियों में कानून का डर न होना है। देश में महिला एवं बाल अपराधों के संदर्भ में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। परंतु इसके बावजूद महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधों के मामलों में वृद्धि होना अत्यधिक चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय न्यायिक व्यवस्था का अत्यधिक जटिल होना यौन शोषण को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण है। क्योंकि यौन अपराधी सबूत के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरुप वे वापस यौन अपराध को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत प्रतिदिन महिलाओं के साथ 20 हिंसक अपराध होते हैं । प्रतिदिन घरेलू हिंसा के चलते 56 अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं। प्रतिदिन 50 महिलाओं की निर्ममपूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती है।

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2023 :–

महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के संदर्भ मै बड़े ही गंभीर तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। रिपोर्ट में कहां गया है कि समाज की पितृसत्तात्मक विचारधारा होने के कारण महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार किया जाता है। समाज की रूढ़िवादी विचारधारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण का प्रमुख कारण है। समाज की सभी व्यवस्थाओं में पुरुषों का आधिपत्य होने के कारण महिलाएं अधिक उत्पीड़ित है। इसलिए अशिक्षित महिलाएं ही नहीं अपितु शिक्षित महिलाएं भी पुरुषों के अत्याचारों व यौन अपराधों का शिकार है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध के मामले इतने प्रबल है कि छोटी –छोटी बच्चियों के साथ यौन अपराध की घटनाएं हो रही है । प्रतिदिन समाचार पत्रों में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों की खबरें देखने को मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यौन अपराधों के मामलों में अपराधियों को मिलने वाली सजा बहुत ही कम है। इस संदर्भ में पुलिस व न्यायिक व्यवस्था को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही इस प्रतिवेदन में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत सरकार को महिला और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में कठोर कानूनी व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। इस प्रकार महिला उत्पीड़न के सामान्य कारणों में दहेज की माँग, चरित्रहीनता का दोष, पुत्र पैदा न कर पाना आदि बताए गए हैं। पत्र–पत्रिकाओं में महिला मुद्दों से संबंधित प्रमुख अपराधों में ससुराल में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना एवं उत्पीड़क के रूप में असहाय होना पाया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कुल प्रकरणों में केवल 10 प्रतिशत मामले ही पुलिस थानों में रिपोर्ट करवाए जाते हैं तथा इन घटनाओं का एक छोटा सा भाग ही मिडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है जिनका चुनाव सनसनीखेज प्रकृति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि महिलाओं के प्रति होने अपराधों के वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस व उच्च अधिकारियों का व्यवहार उदासीन होता है जिससे दुर्बल और गरीब महिलाएं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निर्मित किए गए नवीन कानून तथा विद्यमान कानूनों में संशोधन महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि पर अंकुश लगाने में प्रभावहीन साबित हुए हैं। इसके अलावा अपराधियों के प्रति न्यायिक व्यवस्था का दृष्टिकोण अनुउत्तरदायी रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम अध्ययन के अनुसार विश्व के प्रत्येक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की लगभग 30000 महिलाओं से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित एक शोध से स्पष्ट हुआ है सामाजिक व्यवस्था के दबाव के कारण परिवार अपने रिश्तेदारों व पति के द्वारा यौन उत्पीड़न होने के बाद भी प्रत्येक 10 में 15 महिलाएँ किसी अन्य के साथ इस घटना पर चर्चा भी नहीं करती है। चिंता की बात यह है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर देश में महिलाएं घरेलू हिंसा, अपहरण, हत्या ,दुष्कर्म से प्रताड़ित हैं। महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरी तरह असर डालता है। महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को कम करने के लिए विश्व स्तर पर प्रत्येक देश को कठोर कार्यवाही करनी होगी। न्यायालयों में की जाती है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने भी अपने–अपने राज्यों में समान कार्यों के लिए राज्य महिला आयोगों की स्थापना की है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 :–

आपराधिक कानून के तहत घरेलू हिंसा से निपटने के उपाय हैं। 1983 में शुरू की गई भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए को अक्सर ऐसे मामलों में लागू किया जाता है। यह धारा पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता से संबंधित है और इसकी सज़ा 3 साल तक और जुर्माना हो सकता है। क्रूरता को, अन्य बातों के साथ–साथ, जानबूझकर किया गया आचरण माना जाता है जो इस तरह का होता है कि महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है। इसमें दहेज की मांग को पूरा करने के लिए महिला को मजबूर करने के उद्देश्य से उसका उत्पीड़न भी शामिल है। आईपीसी की धारा 304 बी दहेज हत्या के मामलों से संबंधित है। आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से आपराधिक बल के हमले से संबंधित है।

घरेलू हिंसा की घटना, जो व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य बनी हुई है, को संबोधित करने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित करने और उन्हें अन्य राहत प्रदान करने के लिए एक नागरिक उपाय के रूप में 14.9.2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया। यह अधिनियम 26.10.2006 से लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 को भी 26.10.2006 को अधिसूचित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति :–

राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता पर जोर देती है।

नीति में कानूनी प्रणाली, निर्णय लेने की संरचना, विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाना, सूक्ष्म ऋण जैसे संसाधनों तक पहुंच बढ़ाकर आर्थिक सशक्तीकरण, महिला घटक योजना के माध्यम से बेहतर संसाधन आवंटन, लिंग बजट अभ्यास और लिंग विकास सूचकांकों का विकास तथा महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण, महिला स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृ ष्टिकोण अपनाना आदि शामिल है।

निष्कर्ष :–

स्पष्ट है कि 'महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली सभी तरह की हिंसा, चाहे वह घरेलू हो या सामाजिक स्तर पर, जिसमें रीति–रिवाज़, परंपरा या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न हिंसा भी शामिल है, को प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा ताकि इसकी घटनाओं को खत्म किया जा सके। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी प्रथाओं सहित ऐसी हिंसा की रोकथाम के लिए सहायता के लिए संस्थाएँ और तंत्र/योजनाएँ बनाई जाएँगी और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा; हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और हिंसा करने वालों के खिलाफ़ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी से निपटने के लिए कार्यक्रमों और उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।' महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना पर काम चल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। समुचित सुरक्षा के प्रावधान होने के बावजूद भी महिलाओं और बच्चों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। उनके साथ होने वाले घटनाओं के मामले कम होने के स्थान पर बढ़ ही रहे हैं । यह कहना गलत न होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे–जैसे नये–नये कानून बनाए जा रहे हैं तथा प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं, वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में वृद्धि हो रही है। महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराधों का होना एक साधारण सी बात हो गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा समानता, विकास, शांति के साथ–साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में एक बाधा बनी हुई है। कुल मिलाकर सतत् विकास लक्ष्यों (क्ळे) का वादा –'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' – महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का समाधान केवल कानून के तहत अदालतों में ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिये एक समग्र दृष्टिकोण और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना आवश्यक है। इसके लिये कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, गैर–सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. कौशिक आशा, नारी सशक्तिकरणःविमर्श एवं यथार्थ, पॉइंटर पब्लिशर जयपुर 2004.

2. सैनन नदीम, ''समकालीन भारतीय समाज भारत काल', 2006.

3. किशोर सविता, 'महिला सशक्तीकरण क्यों और कैसे, आर.बी.एस पब्लिशर जयपुर, 2008.

4. राय, आशीष वूमेन एम्पावरमेट स्ट्रेटजीज, रक्त प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008.

5. , मोनाक्षी व्यास, 'नारी चेतना और सामाजिक विधान, रौशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर, 2006.

6. कुमार, अजय महिला अधिकारिता में उद्यमशीलता का योगदान, संपादकीय, रोजगार समाचार , नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2005.

7. कौर सोनी जसप्रीत, 'वूमेन एम्पावरमेंट एक्सप्लोरिंग द फेक्ट्स, ऑभर्स प्रेस, दिल्ली, 2006.

8. रानी, आशु, ''महिला विकास कार्यक्रम', इनाश्री पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1997.

9. अलीम, शमीम, वुमेन्स डवलपमेन्ट प्रोब्लम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स, ए.पी.एच. पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1996.

10. कुमार सिन्हा, अजीत, 'न्यू डायमेन्शन्स ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 2008.

11. दि जर्नल ऑफ फैमिली वेलफेयर, पब्लिश ऑफ इण्डिया, मुम्बई दी इकॉनोमिक टाइम्स, न्यू देहली